न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

ठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
जस्व वाद संख्या : 84/2011
CMS NO. : 2011/00152

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. चन्द्रकंवर पुत्र रावतसिंह पत्नी अर्जुनसिंह फौत के कायम मुकाम 1.1 गोपालसिंह पुत्र चन्द्रकंवर 1.2 किशनसिंह पुत्र चन्द्रकंवर 1.3 रामसिंह पुत्र चन्द्रकंवर फौत के कायम मुकाम 1.3.1 भंवरसिंह पुत्र रामसिंह 1.3.2 विशनसिंह पुत्र रामसिंह 1.3.3 सज्जनसिंह पुत्र रामसिंह 1.3.4 विनोदकंवर पुत्र रामसिंह जाति राजपुत निवासी हाल सीरसु तहसील परबतसर नागौर। 2. रूकमा कंवर पुत्री रावतसिंह फौत के कायम मुकाम 2.1 सुमेरसिंह पुत्र रूकमाकंवर 2.2 उम्मेदसिंह पुत्र रूकमाकंवर 2.3 रामजोत पुत्री रूकमा कंवर जाति राजपुत निवासी आसोप तहसील भोपालगढ, जोधपुर। 3. धापु कंवर पुत्री रावतसिंह 4. उगमकंवर पुत्री रावतसिंह पत्नी मोतीसिंह फौत के कायम मुकाम 4.1 हनुमानसिंह पुत्र मोतीसिंह 5. इन्द्रकंवर पुत्री रावतसिंह पत्नी भीखसिंह फौत के कायम मुकाम 5.1 शिवसिंह पुत्र भीखसिंह जाति राजपूत निवासी आसोप तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर।		1. मोहनसिंह पुत्र सौनसिंह 2. मंगलसिंह पुत्र सौनसिंह 3. कालूसिंह पुत्र सौनसिंह 4. प्रेमकंवर बेवा रायसिंह 5. भंवरकंवर पुत्र रायसिह 6. सायरकंवर बेवा छतरसिह 7. चैनकंवर बेवा भीवसिंह 8. मनोहरसिंह पुत्र चैनसिंह 9. भैरूसिंह पुत्र रावतसिंह फौत के कायम मुकाम 9.1 आनन्द कंवर बेवा भैरूसिंह 9.2 अमरसिंह पुत्र भैरूसिंह 10. मूलसिह पुत्र रावतसिंह 11. विनोद कंवर पत्नी गजेसिंह जातियान राजपूत निवासीगण निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली। 12. तहसीलदार साहब, जैतारण। 13. उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण। 14. पटवारी पटवार सर्कल निम्बोल।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी तारीख रजू:–27.06.2011

उपस्थित:– 1. श्री अमित त्रिपाठी व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, प्रार्थीगण।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, श्री जगदीश सोलंकी, श्री प्रद्युम्न श्रीमाली, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 28/07/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 पीसी, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान की पुश्तैनी कृषि भूमि वार सर्कल निम्बोल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बोल तहसील जैतारण में म्न खसरान् की भूमि आई हुई है– खसरा संख्या 581 रकबा 12–01 बीघा स्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 582 रकबा 02–05 बीघा किस्म बारानी व्वल, खसरा संख्या 583 रकबा 12–14 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा ंख्या 584 रकबा 03–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 610 रकबा 9–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 611 रकबा 05–12 बीघा ुल कृषि भूमि 55–13 बीघा व खसरा संख्या 746 रकबा 51–00 बीघा दोयम, खसरा संख्या 747 रकबा 01–00 बीघा किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा संख्या 612 रकबा 80–10 बीघा, खसरा संख्या 612/1 रकबा 47–10 बीघा कुल भूमि 128–00 बीघा। सायलान के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित समस्त खसरा संख्या 612 व खसरा संख्या 612/1 की भूमि में गैरसायलान संख्या 09 व 10 भैरूसिंह, मुलसिंह पिसरान रावतसिंह जो दावा में सायलान संख्या 09 व 10 है तथा 9 व 10 के 1/3 हिस्से की हिस्सेदार है सायलान के पिता का देहान्त होने के बाद सायलान ने अपनी हिस्से की भूमि का किसी भी प्रकारका कोई हकतर्क नही किया गया। सायलान खसरा संख्या 581, 582, 583, 584, 610, 611 की कुल भूमि 55–13 बीघा की भ्झूमि में सायलान 9 व 10 के 3/5 वे हिस्से की हिस्सेदारनी है व खसरा संख्या 746, 747 में 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से में हिस्सेदार है। सायलान व गैरसायलान के बीच दावे के पद संख्या 01 में बताई गई सभी खसरा नम्बरान की भूमि में कानूनन बंटवाड़ा नही हो रखा है ना ही मौके पर बंटवाड़ा किया गया है, मनमर्जी से सभी सहखातेदार उक्त कृषि भूमि में काश्त कर रहे है गैरसायलान संख्या 1 से 11 दावे की पद संख्या 01 में बताई गई कृषि भूमि को बैचान, रजिस्टर्ड बैचान करने पर तुले हुए है एवं रहन बक्शीश करने पर तुले हुए है है सायलान को हिन्दू लॉ के अनुसार अपने पिता की व पुश्तैनी कृषि भूमि में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिनी है व अधिकारिनी होने के कारण सायलान श्रीमनजी की सेवा में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रही है जिसमें सायलान को सम्पूर्ण सफल होने की पूर्ण विश्वास है। वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवाड़ा नही हो जाता है तब तक वादग्रस्त आराजी का बैचान करने का समस्त गैरसायला को कोई कानूनन अधिकार नही है अगर बिना बंटवाड़ा करवाये बैचान किया जाता है तो सायलान के हितो व हक हकुको पर विपरीत असर पड़ेगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर भी रूपयो में नही आंकी जा सकती है। सायलान को असीम क्षति होगी एवं सिविल एण्ड फौजदारी मुकदमें बढेंगे इसलिए सायलान को कानूनन अधिकार उत्पन्न होते है कि अपने हक व बंटवाड़ा व घोषणा डिक्री अपने पक्ष में नही करवाते तब तक अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:41:49 IST
Reason: SelfAttested

धाज्ञा पाने की अधिकारनी है इसलिए श्रीमान् की सेवा में अस्थाई निषेधाज्ञा की
ौफ का प्रार्थना पत्र पेश है। सायलान वादग्रस्त भूमि में गैरसायलान संख्या
10 की हिस्से की भूमि में अपने नाम की जमीन अपने नाम घोषणा करवाने
अधिकारिनी है मौके पर गैरसायलान संख्या 9 व 10 का कब्जा व काश्त है
यलान अपनी पुश्तैनी भूमि में स्वर्गीय श्री रावतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह की पुत्री
ने से अपने नाम की घोषणा करवाने की अधिकारिनी होने से उक्त दावा घोषणा
श्रीमानजी की सेवा में पेश है। सायलान वादग्रस्त भूमि में गैरसायलान संख्या
/10 का कुल हिस्से की भूमि में खातेदार की घोषणा करवाने का अधिकारी है।
ादग्रस्त भूमि में गैरसायलान शामलाति खातेदार दर्ज है तथा मौके पर एक ही चह
है उक्त भूमि का बंटवाड़ा कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंट्वाड़ा नही हो
रखा है मनोमन ही मौके पर सभी गैरसायलान काश्त कर रहे है सायलान खसरा संख्या 581, 582, 583, 584, 610, 611 कुल कृषि भूमि 55-13 बीघा गैरसायलान संख्या 9 व 10 का 3/5 खसरा संख्या 746 रकबा 51 बीघा चाही दोयम खसरा संख्या 747 रकबा 01-00 बीघा गैर मुमकिन बैरा में कुल जमीन में 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से की हिस्सेदारान् हे। व खसरा संख्या 746 व 747 में 1/2 हिस्से में हिस्सेदारान है। व 3/5 का हिस्से में खातेदारान् काश्तकार घोषित किया जाने व साथ ही बताई मिट्स एण्ड बाउण्डस कानूनन बंट्वाड़ा किया जावे एवं खसरा संख्या 612, 612/1 की कानूनन बंट्वाड़ा किया जावे एवं खसरा संख्या 612, 612/1 की कृषि भूमि में गैरसायलान संख्या 9, 10 का 1/3 हिस्से में सायलान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं उक्त भूमि का भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कानूनन बंट्वाड़ा कर राजस्व रेकर्ड में ट्रेस नक्शे में अलग अलग इन्द्राज कर खाते अलग अलग किया जावें। सायलान ने दिनांक 18.06.2011 को सभी गैरसायलान से कहा कि वादग्रस्त भूमि का बैचान नही करे एवं गैरसायलान संख्या 9 व 10 अपने पूर्वजो की कृषि भूमि में से अपने हिस्से की मांग तब हिस्स देने से मना कर दिया एवं सभी गैरसायलान उक्त भूमि को बैचान करने की धमकी ही गैरसायलान वादग्रस्त भूमि के बैचान करने के अधिकारी नही है। वादग्रस्त भूमि सायलान की पुश्तैनी भूमि है व हिस्सेदार है सायलान ने दिनांक 18.06.2011 गैरसायलान संख्या 01 से 11 से मिलकर उक्त आराजी को बिना बंट्वाड़ा किए सायलान का पैतृक जमीन को रहन बैचान व बक्शीश आदि करने से मना किया तब सभी गैरसायलान ने दावे के पद संख्या 01 में बताई गई समस्त खसरा संख्या की कृषि भूमि को बैचान करने की धमकी दी अगर उक्त समस्त आराजी को बैचान कर दिया तो सायलान अपने अधिकारो से वंचित रह जाऐंगे सायलान को गैरसायलान के विरूद्ध विविध प्रकार के मुकदमेंबाजी करनी बढ़ेगी जिससे मल्टीस्पेशलिटी ऑफ प्रोसिर्डिंग्स होगी जिससे सायलान जैरबार होंगे एवं सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति गैरसायलान किसी भी कदर पूर्ति नही कर सकेंगे सायलान की उक्त आराजी में पैतृक पुश्तैनी होने से एवं हिस्सेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष बहुत ही मजबुत है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:49 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान संख्या 01 से 11 उक्त आराजी के बिना बंटवाड़े के वादग्रस्त
। का बैचान कर देते है तो सायलान का अपने हिस्सा की कृषि भूमि प्राप्त
के से वंचित रह जाऐंगे सुविधा का संतुलन भी बखुबी सायलान के पक्ष में है
लिए गैरसायलान को उक्त आराजी की बैचान रहन करने से रोकने के लिए
मानजी की सेवा में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र गैरसायलान के विरुद्ध पेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को
रिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5, 7 से 8, 9/1, 10
ो बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से
नके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 06, 9/2 व 11
ी ओर से वकालतनामा पेश किया किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण
संख्या 9/2 को बार बार अवसर देने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने
से जवाब प्रार्थना अवसर बंद किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 11 की ओर से
जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 01 में
वर्णित कृषि भूमि सायलान की पुश्तैनी ग्राम निम्बोल में स्थित होने व कुल भूमि
128 बीघा सायलान की पुश्तैनी व हिस्से की भूमि होने के कथन पूर्णतः गलत व
बेबूनियाद है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 पूर्णतः गलत व बेबूनियाद है जिसे
गैरसायल नामंजूर करती है। सायलान चन्द्रकंवर, रूकपकंवर, धापकंवर, स्व.
उगमकंवर व इन्द्रकंवर स्वर्गीय रावतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति रापजूत निवासी
निम्बोल की जायन्दा पुत्रिया जरूर है इनके स्व. पिता रावतसिह का देहान्त दिनांक
17.06.1956 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व ही हो
चुका था व हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम दिनांक 17.06.1956 को प्रभाव में
आया, उसके पश्चात ही पुत्रीयो को पिता की सम्पति में हक, अधिकार माफिक
कानून प्राप्त हुआ व इस कानून के प्रभाव में आने से पूर्व ही स्व. रावतसिंह का
देहान्त होने से तत्संबंधी उत्तराधिकार कानून के अनुसार केवल रावतसिंह के पुत्री
छत्तरसिंह, चैनसिंह, भैरूसिंह, भीमसिंह व मूलसिंह पांच पूत्र ही रावतसिंह की
वादग्रस्त कृषि भूमि के उत्तराधिकारी हुए व रावतसिंह की जायदाद पर वैध रूप से
प्रार्थना पत्र वादग्रस्त कृषि भूमि का म्युटेशन भरा गया व पांचो पुत्र काबिज
खातेदार काश्तकार हुये, जब सायलान का कोई हक व हिस्सा था ही नही तो
सायलान द्वारा खसरा संख्या 581, 582, 583, 584, 610 व 611 की कुल
55-13 बीघा भूमि में सायलान के हिस्से व खातेदारी की भूमि होने व खसरा
संख्या 746 व 747 में 1/2 हिस्सा होने के कथन गलत व अस्वीकार है। प्रार्थना
पत्र का पद संख्या 3 पूर्णत गलत व बेबूनियाद है जिसे गैरसायल नामंजूर करती
है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी में सायलान का कोई हक, अधिकार
हिस्सा काश्त न तो कभी था न ही आज दिन तक है न ही सायलान उक्त भूमि
के काबिज खातेदार काश्तकार व सहखातेदार काश्तकार है ही नही इसलिए
सायलान द्वारा बंटवाड़ा करवाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है सायलान की कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:49 IST
Reason: SelfAttested

ान है ही नही, गैरसायलान ही रिकॉर्डेड काबिज खातेदाकर काश्तकार है उन्हे नी जमीन को इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है व रहन, ान व मुन्तकील करने का भी पूर्ण अधिकार है। सायलान के पिता स्व. रावतसिंह दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 दिनांक 17.06.1956 के प्रभाव में आने से ं ही देहान्त हो गया, इसलिए तत्कालीन कानून के तहत सायलान को उनके ता की भूमि में कोई हक, अधिकार प्राप्त ही नही हुए, न ही कोई हक हिस्सा ं न रहा, व कब्जा काश्त था ही नही व न रहा, पिछले 56 वर्षो से ज्यादा मय से लगातार सायलान वादग्रस्त भूमि से आउट ऑफ पजेशन है यानि दिनांक 7.06.1956 के पूर्व से आज दिन तक आउट ऑफ पजेशन है इसलिए सायलान ारसायल के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई खातेदारी की घोषणा प्राप्त करने के धिकारी नही हैं उक्त तथ्यो के अलावा पुरा फिकरा गलत व अस्वीकार है। प्रार्थना त्र के पद संख्या 04 पूर्णतः गलत व बेबूनियाद होने के कारण अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी में कोई हकख अधिकार व कब्जा काश्त न था न है, न ही सायलान खातेदार काश्तकार है जब सायलान खातेदार काश्तकार है ही नही तो भूमि का बंटवाड़ा करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है सायलान का बंटवाड़ा का दावा काबिल खारिज के है। सायलान के कोई हक, अधिकार है ही नही तो किसी प्रकार की क्षति का प्रश्न ही पैदा नही होता है जब कोई क्षति संभावित है ही नही हो दिवानी एवं फौजदारी मुकदमें बढने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। न ही सायलान बंटवाड़ा व घोषणा की डिक्री अपने पक्ष में नही करवाले तब तक किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा पाने का कोई अधिकारी नही है। उक्त तथ्यो के अलावा पुरा फिकरा गलत व अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 पूर्णतः गलत व बेबूनियाद होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायल संख्या 09 स्व. भैरूसिंह पुत्र रावतसिह का रावतसिंह की सम्पति में 1/5 हिस्सा व गैरसायल संख्या 10 मूलसिंह पुत्र रावतसिंह का 1/5 हिस्सा जरूर है। सायलान का वादग्रस्त भूमि में कोई हक, हिस्सा व अधिकार है ही नही, दिनांक 17.06.1956 से पूर्व ही रावतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह की मृत्यु हो जाने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत सायलान को वादग्रस्त भूमि में कोई हक, अधिकार प्राप्त नही होते है न ही सायलान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के पूर्व मृतक हुए व्यक्तियो की भूमि बाबत् इस अधिनियम के प्रावधान व अधिनियम लागू नही होता हे न ही सायलान को कोई अधिकार प्राप्त होते है सायलान किसी प्रकार की कोई खातेदारी की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। सायलान का खातेदारी घोषणा का प्रार्थना पत्र ही काबिल खारिज के है। सायलान व गैरसायल की शामलाति खातेदारी व एक चक होने व भूमि का बंटवाड़ा नही होने के कथन पूर्णतः गलत है। सायलान का वादग्रस्त भूमि में कोई हक, अधिकार व कब्जा काश्त है ही नही तो सायलान द्वारा हिस्से की मांग करना, गैरसायल द्वारा बैचान की धमकी देने के प्रश्न ही पैदा नही होता है केवल दावा करने की गरज से झूठे कथन अंकित किए है। गैरसायल को अपनी हक हिस्से की भूमि का अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:49 IST
Reason: Attested

ानुसार उपयोग उपभोग व बैचान करने का पूर्ण अधिकार है इससे सायलान किसी प्रकार के अधिकार प्रभावित नही होते है न ही सायलान को अपूर्णीय ा होने का प्रश्न पैदा होता है। गैरसायल वादग्रस्त भूमि पर रिकॉर्डेड काबिज तेदार काश्तकार है उक्त वर्णित भूमि का लिखित पंजीबद्ध बैचान प्रतिवादी संख्या । द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में दिनांक 29.01.2009 को उपपंजीयन धिकारी जैतरण के यहां पंजीयन करवाया, उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान की माणित फोटो प्रति जवाब के साथ पेश है। उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान के आधार र उक्त वादग्रस्त भूमि का म्यूटेशन प्रतिवादी संख्या 11 के पक्ष में हो रखा है तिवादी संख्या 11 उक्त खरीदशुदा 19-13 बीघा वाद के पद संख्या 01 में र्णित भूमि की रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है एवं बोनाफाईड परचेजर फॉर ल्यू है उक्त भूमि की जमाबंदी खतौनी संवत् 2065 से 2068 जवाब के साथ पेश है। इसलिए गैरसायलान के विरूद्ध सायलान किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है सायलान का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र ही काबिल खारिज के है।

गैरसायल संख्या 06 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 581, 582, 583, 584, 610, 611, 746, 747 ग्राम निम्बोल में जरूर स्थित है लेकिन उक्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से प्रतिवादी संख्या 06 सायर कंवर के पति छत्रसिंह व इनके भाई चेनसिंह, भैरूसिंह, भीवसिंह पिसरान रावतसिंह के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है इसलिए उक्त भूमि में वादीगण का कोई हक, हिस्सा, अधिकार नही बनता है सायलान ने केवल मात्र द्वेष भावना से व गैरसायल संख्या 6 सायरकंवर विधवा व इनके कोई जायन्दा पुत्र नही होने से प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है। रावतसिंह का देहान्त दिनांक 17.06.1956 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व ही हो चूका था व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आने के पश्चात ही पुत्रियो को पिता की सम्पति में हक, अधिकार माफिक कानूनन प्राप्त हुआ व इस कानून के प्रभाव में आने से पूर्व ही स्वर्गीय रावतसिंह के पुत्र छत्रसिंह, चैनसिंह, भंवरसिंह, मूलसिंह पांच पुत्र ही रावतसिंह की जायदाद पर वैध रूप से वादग्रस्त भूमि का म्युटेशन भरा गया। उत्तराधिकार अधिनियम माफिक सायलान का कोई हक हिस्सा अधिकार नही बनता है सायलान प्रार्थना पत्र में गलत रूप से हिस्से दर्ज किए है उक्त तथ्य के अलावा पुरा फिकरा गलत व अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी [illegible] का कोई हक, हिस्सा व अधिकार काश्त न तो कभी था न ही आज दिन तक है ही सायलान उक्त भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार व सहखातेदार काश्तकार है ही नही। इसलिए सायलान द्वारा बंटवाड़ा करवाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। सायलान की कोई जमीन है ही नही। गैरसायलान ही रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है उन्हे अपनी जमीन को इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है व रहन, बैचान व मुन्तकील करने का भी पूर्ण अधिकार है। सायलान वादग्रस्त भूमि से आउट ऑफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:49 IST
Reason: SelfAttested

ान है। इसलिए सायलान गैरसायल के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। सायलान के कोई हक हिस्सा ्रकार है ही नही तो किसी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है । कोई क्षति संभावित है ही नही तो सायलान को किसी प्रकार की अपूर्णीय ते होना संभव नही है। वादग्रस्त आराजी सायलान व गैरसायल की शामलाति ातेदारी व एक चक होने व भूमि का बंटवाड़ा नही होने के कथन पूर्णतः गलत । सायलान का वादग्रस्त भूमि में कोई हक, अधिकार व कब्जा काश्त है ही नही । सायलान द्वारा हिस्से की मांग करना, गैरसायल द्वारा बैचान की धमकी देने के श्न ही पैदा नही होता है केवल दावा करने की गरज से झूठे कथन अंकित किए । गैरसायल संख्या 6 को अपनी हक हिस्से की भूमि का अपनी इच्छानुसार ुपयोग उपभोग व बैचान करने का पूर्ण अधिकार है इससे सायलान के किसी ्रकार के अधिकार प्रभावित नही होते है न ही सायलान को अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न पैदा होता है। सायलान ने उक्त जमीन पुश्तैनी होने बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नही किया है। इसलिए गैरसायलान के विरूद्ध सायलान किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। सायल का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

प्रार्थीगण द्वारा जवाबुल जवाब में कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता रावतसिंह का देहान्त दिनांक 17.09.1968 को हुआ था जिसका फौतेदगी नामान्तरण दिनांक 20.11.1968 को भरा गया था। अतः प्रार्थीगण के पिता का देहान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के पश्चात हुआ।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

<u>*(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :–*</u> वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रार्थीगण पुत्रियो के पिता के देहान्त के उपरान्त प्रार्थीगण पुत्रियो के हितो की उपेक्षा करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10 जो कि प्रार्थीगण के भाई है के पक्ष में नामान्तरण भर[illegible] किया गया, जबकि प्रार्थीगण द्वारा अपने हक का परित्याग भी नही किया था। अतः पिता की [illegible] आराजी में कानूनन प्रार्थीगण पुत्रियो का हक निहित होने के [illegible] प्रथम [illegible] मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:49 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण संख्या 6 व 11 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के कथनो का खण्डन किया गया तथा कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक आराजी नही है। प्रार्थीगण स्वर्गीय रावतसिंह पुत्र सुल्तानसिंह की पुत्रियां जरूर है लेकिन इनके स्वर्गीय पिता रावतसिंह का देहान्त दिनांक 13.06.

ु56 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व ही हो चूका था, अतः ियागण का कोई हक नही है। अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा अप्रार्थी संख्या 07 से ाक 29.01.2009 को लिखित पंजीबद्ध बैचान से वादग्रस्त आराजी में से 19-13 ा भूमि क्रय की गई। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला निहित नही

प्रार्थीगण द्वारा जवाबुल जवाब में कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता ावतसिंह का देहान्त दिनांक 17.09.1968 को हुआ था जिसका फौतेदगी नामान्तरण नांक 20.11.1968 को भरा गया था। अतः प्रार्थीगण के पिता का देहान्त हिन्दू त्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के पश्चात हुआ।

ग्राम निम्बोल की वादग्रस्त आराजी की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 581, 582, 583, 584, 610, 611 के खातेदार के रूप में चतरसिंह, चैनसिंह, भैरूसिंह, भींवसिंह पिसरान रावतसिंह कौम राजपूत दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त खसरान की आराजी आरम्भ से ही प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज न होकर प्रार्थीगण के भाईयो के नाम दर्ज है, इसी प्रकार खसरा संख्या 612 व 612/1 रावतसिंह, सौनसिंह, दुपसिंह पिसरान् सुल्तानसिंह कौम राजपुत तथा खसरा संख्या 746 व 747 की आराजी हरदयालसिंह पिसरान धोकलसिंह, धनेसिंह वल्द हेमसिंह 1/2, रावतसिंह सौनसिंह दुपसिंह पिसरान् सुल्तानसिंह 1/2 के नाम दर्ज है। इस प्रकार उक्त खसरान की भूमि वक्त बंदोबस्त से प्रार्थीगण के पिता के नाम बतौर सहखातेदारी दर्ज है।

अतः वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी किए बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 581, 582, 583, 584, 610 व 611 की आराजी भू प्रबन्ध से ही प्रार्थीगण के पिता के नाम नही होकर प्रार्थीगण के भाई अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज होने से उक्त खसरान् की आराजी के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित नही होता है लेकिन वादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 612, 612/1, 746 व 747 की आराजी भू बन्दोबस्त से प्रार्थीगण के पिता के नाम सहखातेदारी दर्ज होने से उक्त खसरान् की आराजी के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित होता है। अतः यह बिन्दू इसी अनुरूप खसरा संख्या 612, 612/1, 746 व 747 की आराजी की सीमा तक प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुआ हैं,साथ ही वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 612, 612/1, 746 व 747 की आराजी भू बंदोबस्त से प्रार्थीगण के पिता रावतसिंह के नाम दर्ज रही है तथा प्रार्थीगण रावतसिंह की पुत्रियां है अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होता है साथ ही चूंकि वादग्रस्त आराजी के वर्तमान भू अभिलेख में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है अतः अभिलेखीय प्रविष्ठियो के आधार पर यदि अप्रार्थीगण द्वारा रहन बैचान हस्तान्तरण आदि कर दिया जाता है तो वादपत्र के निर्णयन में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:49 IST
Reason: Self Attested

वश्यक जटिलता एवं विलम्ब होना स्वाभाविक है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति व है अतः उपर्युक्त दोनो बिन्दू वादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 612, 2/1, 746 व 747 की सीमा तक प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र भेमत है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 612, 612/1, 746 747 की आराजी की सीमा तक प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया सफल रहे अतः उक्त खसरान् की आराजी की सीमा तक प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना र्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र ार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा ग्राम निम्बोल की वादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 612, 612/1, 746 व 747 की आराजी की सीमा तक भली-भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से इसी सीमा तक स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल के खसरा संख्या 746 रकबा 51-00 बीघा दोयम, खसरा संख्या 747 रकबा 01-00 बीघा किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा संख्या 612 रकबा 80-10 बीघा, खसरा संख्या 612/1 रकबा 47-10 बीघा का रहन, बैचान, हस्तान्तरण आदि नही करे तथा वर्तमान भू अभिलेख में कोई परिवर्तन नही करें। खसरा संख्या 581, 582, 583, 584, 610 व 611 की आराजी एवं इसके खातेदार इस निषेधाज्ञा से अप्रभावित/मुक्त रहेंगे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:49 IST
Reason: SelfAttested